न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी–प्रदीपसिह सांगावत(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –आदेश 49 सन 2023
पंजीयन दिनांक 11.10.2023

1.श्रीमती धापुबाई पत्नी प्यारचंद मीणा निवासी–देवद कराडिया तहसील एवं जिला–प्रतापगढ ।
2. श्रीमती सरजूबाई पत्नी हीरालाल मीणा निवासी–चतरिया तहसील एवं जिला–प्रतापगढ ।

–अपीलांटस

विरूद्व

1.अमृत पिता लखमीचंद धोबी ।
2.हीरालाल पिता लखमीचंद धोबी ।
3.दिलीप पिता लखमीचंद धोबी ।
4.मोहनीबाई पुत्री लखमीचंद धोबी ।
5.रमिला पत्नी लखमीचंद धोबी ।
6.राजू पुत्री लखमीचंद धोबी सभी निवासीयान मानपुराकथागरा तहसील एवं जिला–प्रतापगढ ।
7.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार प्रतापगढ ।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ
प्रकरण संख्या 204/2022 निर्णय दिनांक 14.8.2023

उपस्थित–श्री चन्दनमल जणवा–अधिवक्ता अपीलांट
श्री अजय पिछोलिया–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
श्री पूरणमल स्वर्णकार–राज0अधिवक्ता रेस्पो07

निर्णय

दिनांक 20.12.2023

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट/प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–212 के अन्तर्गत विचारण न्यायलय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 14.8.2023 को प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थाई–निषेधाज्ञा अस्वीकार कर दिया गया जिसके विरूद्व अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को नोटीस जारी किय गये एवं उनकी ओर से अधिवक्ता उपस्थित होकर बहस की गयी ।

अधिवक्ता अपीलांट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि ग्राम प्रतापगढ मे प्रार्थीगण/अपीलांटस की पैतृक कृषि आराजियात स्थित थी जिसके साबिक आराजी नम्बर 1641 रकबा 1 बीघा 11 वि वा आराजी नम्बर 1643 रकबा 1 बीघा 1 बीघा 2 वि वा आराजी नम्बर 1644 रकबा 1 बीघा 11 वि वा आराजी नम्बर 1645 रकबा 4 वि वा आराजी नम्बर 1646 रकबा 2 बीघा 1 वि वा आराजी नम्बर 1647 रकबा 2 बीघा 13 वि वा आराजी नम्बर 1648 रकबा 1 बीघा 1 वि वा कुल किता–7 रकबा 10 बीघा 3 वि वा कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड थी जिसके भू–प्रबन्ध के दौरान नवीन आराजी नम्बर 1656

1667 किता 12 कुल रकबा 2.00 हैक्टेयर कायम किये गय जो पूर्व में अपीलांटस के पुरूष धुरा मीणा की खातेदारी की थी धुरा के एक लडकी जमना एवं एक पुत्र कचरू था । कचरू लाऔलाद फोत हो चुका है धुरा की पत्नी नंदू व पुत्री जमना की भी मृत्यु हो चुकी है ।अपीलांटस धुराकी पुत्री जमना की पुत्रियां है जो धुरा की एक मात्र विधि वारीसान है । धुरा की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजियात एवं उसकी पत्नी नंदूबाई काबिज चली आ रही है। लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से 6 के पिता व पति लखमीचंद पिता डालू धोबी द्वारा बिना किसी विधिक हक व अधिकार से राजस्व कर्मचारियो की मिलिभगत से नामान्तरकण संख्या 464 अपने नाम दर्ज करवा लिया उसी दौरान धुरा की मृत्यु होने से पटवारी हल्का द्वारा विरासती नामान्तकरण दिनांक 1.5.1962 को स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत किया जिसे इस आधार पर निरस्त कर दिया कि इससे सबंधित इंतकाल संख्या 464 फैसल हो चुका है । अप्रार्थी/रेस्पोडेन्टस के पिता व पति द्वारा प्रार्थीगण की नाबालिग अवस्था तथा उनकी माता अनपढ होने से अनुचित लाभ उठा प्रार्थीगण की आराजियात को अपने नाम दर्ज करवा लिया जो वादी के नाम दर्ज की जावे तथा दौरान वाद आराजियात को किसी अन्य को हस्तानांतरण नहीं करे इस हेतु विचारण न्यायालय में अस्थाई–निषेधाज्ञा का आवेदन पेश किया जो दिनांक 14.8.2023 को निरस्त कर दिया गया । एवं साथ ही अपीलांट का प्रार्थना–पत्र केवल मात्र धारा 42 का उल्लंघन नही होना मानते हुये पार्थना–पत्र निरस्त कर दिया गया जो अवैधानिक है अंत में उन्होने अपील मिमो में अंकित समस्त तथ्यों को पुनः दोहराते हुये अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.8.2023 को निरस्त फरमाया जाकर मूल वाद के अंतिम निर्णय तक अपील में वर्णित आराजियात की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति कायम रखाये जाने का अनुरोध किया गया । अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस की समर्थन मे आर.आर.टी 215 पार्ट–2 985 पेश किया गया ।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने वक्त बहस निवेदन किया गया कि अपीलांट/प्रार्थीगण मृतक धुरा के वारिसान नही है उसके कोई आलौद नही थी विवादग्रस्त आराजियात पिछले कई वर्षो से रेस्पोडेन्ट/विपक्षीगण के कब्जे काश्त में होकर वही इस पर काश्त करते चले आ रहे है प्रार्थीगण ने अधीनस्थ विचारण न्यायालय में गतल तथ्योके आधार पर वाद पत्र एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है पक्षकारान जाति से अनुसूचित जन जाति केसदस्य है जिस पर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम लागू नही होता है प्रार्थीगण ने हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना'पत्र व वाद प्रस्तुत किया है जिससे अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अपीलांटगण प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जानेकी किसी प्रकार की त्रृटि नही की है अपीलांटगण की ओर प्रस्तुत अपील निराधार होकर निरस्त योग्य है अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी ओर से न्यायित दृष्टांत आर.आर.डी 2009 पेज 224 आर.एल.डब्लू 1964 पेज 517 आर.आर.डी 1982 पेज 48 आर.एल.डब्लू 2015 पाद्र–1 पेज 189 डी.एन.जे 2013(3) पेज 627 प्रस्तुत की ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विचारण न्याालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया अधीनस्थ विचारण न्यायालय में अपीलांटगण /प्रार्थीगण ने रेस्पोडेन्टगण विपक्षीगण के विरूद्व धुरा की विरासत को लेकर वाद पत्र व प्राथ्रना–पत्र प्रस्तुत किया है वह यह निवेदन किया कि धुरा की एक लडकी जमना बाई रही है जो अपीलांटगण की माता है व एक लडका कचरू जिसका लाऔलाद देहान्त होगया है व धुरा की पत्नी नंदूबाई का भी देहान्त होगया है धुरा के अपीलांटगण मात्र वारिस है जिसके आधार पर घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया है धुरा की विरासत नामान्तकरण संख्या 462 दिनांक 1.5.1962 से उसकी पत्नी नंदू के नाम स्वीकृत हुआ है व वर्तमान में उक्त कृषि आराजियात विपक्षीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है अपीलांटगण धुरा की विरासत को लेकर वाद पत्र व प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांटगण मृतक धुरा के वारिसान है यानही यह तथ्य मूल वाद में ही तय होगे वर्तमान में रेस्पोडेटगण खातेदार के विरूद्व प्रारम्भिक स्तर पर स्थगन दिया जाना उचित

अधिकारी

नही मानते हुये अधीनस्थ विचारण न्यायालय की अपीलांटगण प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया है जो न्यायोचित प्रतित होता है अपीलांटगण प्रार्थीगणकी ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होकर निरस्त योग्य है ।

अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी प्रतापगढ का प्रकरण संख्या 204 / 2022 आदेश दिनांक 14.8.2023 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खूले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रदीपसिंह सांमावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ